कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला–मुरैना

क्रमांक/निर्वा./लेखा/2020/417

मुरैना, दिनांक 06.03.20

::निविदा विज्ञप्ति::

विधानसभा उप निर्वाचन 2020 विधानसभा क्षेत्र 04–जौरा निर्वाचन दौरान मतदान दल, मतदान सामग्री वितरण/वापसी, निर्वाचन की बैठकों, प्रशिक्षण, मतगणना एवं अन्य आवश्यक कार्य में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों को भोजन एवं स्वल्पहार व्यवस्था हेतु मुहरबंद लिफाफे में इच्छुक होटल एवं रेस्टरॉट व्यवसायियों तथ अन्य अनुभवी पंजीकृत फार्मो से निविदा पकिया के माध्यम से निविदा में उल्लेखित समस्त शर्तो के तहत निविदा आमंत्रित की जाती है।

2. भोजन एवं स्वल्पहार हेतु निविदा के साथ 20,000/– की धरोहर राशि का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ.डी.आर. जो कि कलेक्टर, जिला–मुरैना एवं खाताधारक के संयुक्त नाम से देय हो, लगाया जाना अनिवार्य है। एफ.डी.आर. फर्म/संस्था के बैंक खाते से ही बनी होना आवश्यक है।

3. निविदा प्रपत्र एवं शर्त राशि रूपये 1000/– (लेखा शीर्ष 007 अन्य प्रशासनिक सेवाऐं, 02–निर्वाचन 800 अन्य प्राप्तियॉ) में जमा कर जिला निर्वाचन कार्यालय में कार्यालयीन दिवस में प्राप्त कर सकते है।

4. निविदा का विस्तृत विवरण जिनमें निविदा की शर्ते विस्तार से दी गई है वैबसाईट www.morena.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

5. निविदा ऑफर जमा करने की अंतिम तिथि 23.03.2020 समय शायं 05:00 बजे तक है।
6. निविदा फार्म एवं शर्त जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20.03.2020 समय 05:00 बजे तक है।
7. प्राप्त निविदाऐं दिनांक 24.03.2020 को समय अपरान्ह 03:00 बजे खोली जावेगी।
8. सर्वप्रथम लिफाफा 'अ' धरोहर राशि का लिफाफा खोला जाऐगा धरोहर राशि पाऐ जाने पर तकनीकी ऑफर का लिफाफा ब खोला जाऐगा तकनीकी ऑफर सही पाऐ जाने पर लिफाफा 'स' वित्तीय ऑफर खोला जाऐगा।
9. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार कलेक्टर, जिला–मुरैना का होगा। इस हेतु पृथक से कोई पत्राचार नहीं किया जावेगा।
10. शेष शर्ते निविदा प्रपत्र में विस्तार से दी गई है।

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
जिला–मुरैना

पृ.क्रमांक/निर्वा./लेखा/202/418
प्रतिलिपि :–

मुरैना, दिनांक 06.03.20

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. अपर संचालक, (विज्ञापन षाखा) जनसम्पर्क संचालनालय बाणगंगा रोड, भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त विज्ञप्ति को निःशुल्क समाचार पत्रों में प्रकाशित कर पेपर कटिंग इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना की ओर सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत–मुरैना की ओर भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति को सूचना पटल पर चस्पा करना सुनिष्चित करें।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मुरैना की ओर भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति को जिले की वैबसाइट पर अपलोड कर इस कार्यालय को अवगत करना सुनिश्चित करें।

D/F/election_Letter's

6. उपसंचालक, जनसम्पर्क, मुरैना की ओर भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति को 4 समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाषन कराये जाना सुनिश्चित करें।
7. तहसीलदार तहसील......................(समस्त) जिला–मुरैना की ओर भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति को सूचना पटल पर चस्पा करना सुनिश्चित करें।
8. कार्यालय सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
जिला–मुरैना